an>

Title:Regarding expulsion of 73 students of IIT Roorkee.

श्री हरीश मीना (दौसा) : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विÂाय पर बोलने का मौका दिया...(व्यवधान)

महोदय, यह ऐसा राÂट्रीय हित का मुद्दा है, जिसमें कुछ ताकतें भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त एससी, एसटी और ओबीसी के रिज़र्वेशन को समाप्त करने पर तुली हुई हैं। अभी हाल ही में आईआईटी रुड़की ने 73 स्टूडेंट्स को एक्सपेल किया है। यह लड़के डिज़र्विंग थे और ऑल इण्डिया कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के थ्रू इनका सिलेक्शन हुआ था। आरक्षण विरोधी शक्तियों ने साजिश रचकर इन बच्चों को एक साल के बाद ही वहां से निकाल दिया। अगर ये लड़के कमजोर थे तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे पास हुए? मैं यह मानता हूं कि ये बहुत ही डिज़र्विंग लड़के थे। ऐसा हो सकता है कि किसी चीज की कमी रही हो, लेकिन सरकार को प्रयास करने चाहिए थे। इनकी जो कमजोरी थी, उसको दूर करते और इनको मौका देते। यदि इसी राह पर यह लोग चलते रहे तो सरकार का जो रिजर्वेशन का प्रावधान है, वह बेमानी हो जाएगा। एक हाथ से आप रिज़र्वेशन दे रहे हैं और दूसरे हाथ से आप रिज़र्वेशन हटा रहे हैं। यह गरीबों के साथ अन्याय है। यह पहली बार हुआ है और अगर इसको आज नहीं रोका गया तो आज जो आईआईटी रुड़की में हुआ है, कल आईआईएम या किसी अन्य संस्थान में होगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से और एचआरडी मिनिस्टर से अनुरोध है कि इन बच्चों को फिर से मौका दिया जाए। इनका निÂकासन रद्द किया जाए और इनको दोबारा एडमिशन दिया जाए। इन सभी बच्चों के केस को सहानुभूतिपूर्वक देखा जाए...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER:

Dr. Kirit P. Solanki and

Shri P.P. Chaudhary are permitted to associate with the issue raised by Shri Harish Meena.